फरीदाबाद
मजदूर समाचार
मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया
नई सीरीज नम्बर 108 जून 1997

अपने बारे में, इस अखबार के बारे में बात करने आप किसी भी दिन मजदूर लाइब्रेरी आ सकते / सकती हैं।

क्यों जानें ? क्या-क्या जानें ? कैसे जानें ? क्या-क्या कर सकते हैं ? (5)

बारातें होती ही हैं दूल्हों के लिये

चाय के खोखे पर पाँच-छह लोगों के बीच चर्चा हो रही थी। ''**मजदूर अपने हित्त में कदम कैसे उठायें?**'' पर विचार-विमर्श में इस बात पर आम सहमति थी कि नेता नुकसान ही पहुँचाते हैं। सरल कदम हों, खर्चीले नहीं हों, इस प्रकार के हों कि हर किसी के बस के हों, कभी-कभी के धूम-धमाके की बजाय रोजाना के सामान्य कदम हों पर सोच-विचार चल रहा था।

एक बड़ी फैक्ट्री, जहाँ कई महीनों का वेतन मैनेजमेन्ट ने रोका हुआ है, वहाँ के मजदूर ने अपनी फैक्ट्री के सन्दर्भ में चर्चा को मोड़ा। तब यह बात उभर कर आई कि चार-चार, पाँच-पाँच की टोलियों में मजदूर अपनी बातों को रोज, बार-बार, जगह-जगह रखें तो उस फैक्ट्री के सब मजदूरों की ताकत साँझी हो कर भारी दबाव पैदा करेगी और मजदूरों के इस सामुहिक बल का कोई सौदा नहीं कर सकेंगे, अपहरण नहीं कर सकेंगे, बेच नहीं सकेंगे। इतने आसान और असरदार कदम पर शंका जाहिर करते हुये परेशान मजदूर ने भावुक हो कर दर्द-भरी आवाज में कहा, ''दोस्त, यह नहीं होगा! नहीं होगा !! नहीं होगा !!! बिना दूल्हे के बारात नहीं निकलती।''

यह मुहावरा हमारे मन में गूँजता रहा है। इस पर हमने विचार किया है और अनेक दोस्तों से चर्चायें की हैं। इन्हें आपके साथ साझा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बारे में अधिक बहस होगी।

अपने व अन्य लोगों के अनुभवों को कुरेद कर देखेंगे तो विचारों को काटने-छाँटने का एक ठोस आधार हमें मिलेगा।

'' दिलाने के लिये कोई-न-कोई तो चाहिए ही।''

'' खुद खायें पर हमें भी दिलायें।''

'' अरे ज्यादा खा लो पर थोड़ा-सा तो हमें मिले।''

इस प्रकार की सोच हम में गहरी धँसी बैठी है। इस पर सवार हो कर आते-जाते हैं ज्ञानी-ध्यानी-धनी-वीर-बलवान-वक्ता-प्रवक्ता-चंट-चतुर-चालाक-सर्वगुणसम्पन्न तारने वाले। इनके आने-जाने में लगती ठोकरें, बार-बार के कड़वे अनुभव, जगह-जगह की पीड़ादायक एक्सपीरियन्स की चीत्कार हैं :

"बेच खाया।"
"मरवा दिया।"
"डुबो दिया।"

अपने अनुभवों की पुकार को गम्भीरता से ले कर निष्कर्षों पर पहुँचने में कहीं हम ज्यादा देर तो नहीं कर रहे हैं ? विलम्ब है! यह विलम्ब क्यों ?

मानते हैं यारो कि हाँकने वालों के नगाड़ों का कानफोड़ शोर हम पीढ़ी-दर-पीढी झेलते आये हैं और इस प्रदूषण ने हमारे मन-मस्तिष्क में भी जहर घोला है। किन्तु-परन्तु-वरन्तु दोस्तो, हमारे इर्द-गिर्द धीमे स्वरों में ही सही पर फिर भी हमारे अनुभवों से मेल खाती विभिन्न लय-ताल भी तो हैं। इनकी रचना में प्रत्येक मजदूर किसी-न-किसी स्तर पर साझेदार होता/होती है। आइये अपनी धड़कनों के महत्व को पहचानें और सुरों का वेग व छटा बिखेरते हुये नव कोलाहल को जीवन्त करें।

यह हमारी कल्पना की उड़ान है या वास्तविकता उड़ान भरने के लिये पँख फड़फड़ा रही है ?

फैक्ट्री के दायरे में ही देखें तो यह आम बात है कि प्रत्येक वरकर का उठ-बैठ का एक छोटा सर्कल होता है। चार-चार, पाँच-पाँच की टोलियों में मजदूर आपस में जुड़े होते हैं। समस्यायें रोज हजार हैं और हर मजदूर इनसे अपने-अपने ढँग से निपटता/निपटती है। टोली के साथियों से प्रत्येक वरकर को सहारा व हौसला मिलते हैं। ठेकेदार के हों चाहे कैजुअल, सब मजदूर अपना तीन-चार का ग्रुप बना ही लेते हैं। जाहिर है कि प्रत्येक वरकर चार-पाँच की टोली बनाने में आसानी से साझेदार बन सकता/सकती है।

परन्तु... जब भी कोई बड़ा मसला उठता है तब आमतौर पर अपनी छोटी-छोटी टोलियों के बीच तालमेल करने की बजाय हम फैक्ट्री स्तर के झुन्ड में बदल जाते हैं। झुन्ड को बनाये रखने के लिये और झुन्ड को हरकत में लाने के लिये हाँकने वालों की जरूरत पैदा हो जाती है। मजदूरों की सामुहिक शक्ति के अपहरण की हालात बन जाती हैं। बेच खाने या मरवाने वाले हावी हो जाते हैं।

मसले छोटे हों चाहे बड़े हों, टोलियों का बने रहना और टोलियों में तालमेल हर हालात से निपटने में सक्षम है। जहाँ सौ मजदूर हैं वहाँ चार-चार, पाँच-पाँच मजदूरों की पच्चीस-तीस टोलियाँ बनती हैं, जहाँ एक हजार हैं वहाँ ढाई सौ - तीन सौ टोलियाँ बनती हैं और जहाँ दो हजार मजदूर हैं वहाँ पाँच-छह सौ टोलियाँ बनती हैं। डी सी को कम्पलेन्ट करने एक दिन में अलग-अलग समय पर पाँच टोलियाँ भी जायें तो हफ्ते-भर में तीस टोलियों का ही नम्बर आयेगा और डी सी हाँफने लगेगा। बहतरवीं टोली के पहुँचने पर तो डी सी के मुँह में झाग आ जायेंगे। जबकि अब, हाँकने वाले झुन्ड को महीने-दो महीने में एक बार डी सी के पास ले जाते हैं और तब

(बाकी पेज तीन पर)

इस अंक की हम पाँच हजार प्रतियाँ ही फ्री बाँट पा रहे हैं। पाँच हजार मजदूर अगर हर महीने एक-एक रुपया दें तो दस हजार प्रतियाँ फ्री बँट सकेंगी।

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद-121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

मंडी

रिसेप्शन पर पड़े सोफे में –
पाँच आदमी धुसे हुये थे
और उससे भी ज्यादा खड़े हुये थे
जब मैं अंदर दाखिल हुआ ।।
दीवार पर लगी घड़ी में –
नौ बज कर दो मिनट हुये थे
और सबकी सूरत पे बारह बजे हुये थे
मैं भी उस जमात में शामिल हुआ।।
फाइल के कागजों में –
नाम दर्ज वे कर रहे थे
और एक-एक करके अंदर भेज रहे थे
मेरा नाम भी दर्ज हुआ।।
रिसेप्शन पर पड़े सोफे में –
अब भी –
पाँच आदमी धुसे हुये थे
और उससे भी ज्यादा खड़े हुये थे ।
लेकिन –
दीवार पर लगी घड़ी में –
पूरे के पूरे दो बजे हुये थे
और सब के चेहरे –
पके पपीते से लटक रहे थे।
जब मेरा नंबर आया।।
अंदर कमरे में, टेबल के पीछे –
दो भैंसे और तीन गेंडे बैठे हुये थे
और उनमें से कुछ 'कुछ' चबा रहे थे।
जब मैं अंदर दाखिल हुआ।।
पाँच घंटे से खड़ा मैं –
कुर्सी में धँस गया था
जबकि वे मेरा नाम पूछ रहे थे ।
मैंने प्रमाण पत्रों का बंडल दिया।।
मैं सवालों की बौछार में –
पहले कहाँ, किस पद पर थे ?
क्या-क्या काम किया करते थे ?
तनख्वाह कितनी लिया करते थे ?
मैंने सभी सवालों का जवाब दिया ।।
अच्छा इतनी तनख्वाह में –
यह-वह, ऐसा-वैसा, इधर-उधर वगैरह –
काम करना होगा ;
पहले वाला भी किया करता था ;
उस गधे को निकाल दिया।
"इतना काम एक महीने में ?
लेकिन, कर लूँगा," मैंने कहा था।
तभी एक गेंडे का मुँह खुला –
तो कल से ही शुरू करो भाया।।
छह महीने से बेकार मैं –
मरता क्या न करता
'ना' करता तो भूखा मरता।
'हाँ' करके बाहर आया।।
बेकारों की इस मंडी में –
शरीर बिकने आते हैं –
और मालिक दाम लगाते हैं।
सस्ता सही, बिक गया–अच्छा हुआ।।
समय न लगा सौदे में –
कल मुझ को आना होगा –
ग्राहकों को खुश करना होगा।
मैं रास्ते पर चल दिया।।
"शरीर बेच आये।" कहा रास्ते ने –
"नहीं फर्क वेश्या और तुम में –
वह भी 'काम' और यह भी काम
हाय ! यह कमरतोड़ काम
शरीर का बाजा बजा दिया।।
ये फैक्ट्रियाँ, कम्पनियाँ, ये मिलें
ग्राहक बन कर अप्रत्यक्षतः
नौकरों की लेते हैं
और देते हैं बदले में –
बेइज्जती, गरीबी और भूख ;
भूख, जिसके लिये तुम –
बार–बार बिकते हो,"
मैं चुपचाप चला सुनता हुआ।।
मानों बर्फ जमी थी मुँह में –
सचमुच, मैं क्या, सब चुप थे –
और झूठी श्रद्धाँजली दे रहे थे ।
सच की चिता से उठ रहा था धुँआ।।
वह न आता मुझ को नजर
अगर जमीर भी होता बिका हुआ।।

– बलविन्द्र सिंह, दिल्ली

पुतला

मैं सुबह जब निकला
वे महाशय वहाँ खड़े थे
शाम को थका हुआ लौटा जब
वे वहीं खड़े थे
उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
न थकान, न मुस्कान, न गुस्सा
जैसे पुतला।
कल रात ठन्ड थी
बौछारें बारिश की साथ थी
आज तेज धूप
उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
न थकान, न मुस्कान, न गुस्सा
जैसे पुतला।
कल यहाँ मारकाट हो रही थी
आज मजदूरों की रैली
उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं
न थकान, न मुस्कान, न गुस्सा
जैसे पुतला।
ताज्जुब हो कर
गया पास मैं
सही में वह पुतला था
प्रतिक्रियाहीनता ही
उसका पुतलापन था
टिके रहना ही गौरव।
पुतले को गौर से देखा जब
घबराया
पुतले का चेहरा
बिलकुल मुझ पर .....

–जगदीश पटेल, बड़ोदा

एस एण्ड जी इंजिनियर्स

मैं एस एण्ड जी इंजिनियर्स प्रा. लि., प्लाट नं. 17, सैक्टर–25 में 2.1.93 से ग्राइन्डरमैन के पद पर काम कर रहा था। मैं प्रबन्धकगण से हाजरी कार्ड, लीव फार्म, डबल ओवर टाइम, वेज स्लिप, ई एस आई कार्ड, फण्ड स्लिप इत्यादि कानूनी माँग किया करता था। इस कारण प्रबन्धकगण मुझ से नाराज रहते थे और एक दिन बगैर वजह मेरा गेट 10.5.96 को बन्द कर दिया। मैंने मैनेजर महेन्द्र सिंह जी से पूछा कि आपने मेरा गेट क्यों बन्द किया है तो कहने लगे कि हमारी मर्जी, किसी का भी गेट बन्द कर सकते हैं। तुम कम्पनी में हाजरी कार्ड, फण्ड स्लिप और डबल ओवर टाइम माँगा करते हो और यूनियन बनाते हो। तो मैंने पूछा कि साहब यूनियन बनाना क्या बुरी बात है तो कहने लगे कि किसी और कम्पनी में काम करो, हम तुम्हें अपनी कम्पनी में नहीं रखेंगे। मैंने लेबर कोर्ट में केस दायर कर दिया। कोर्ट में प्रबन्धकगण कहने लगे कि हमने तुम्हें नहीं निकाला और बाद में कोर्ट द्वारा ड्युटी पर लिया। कुछ महीने बाद झूठी चार्जशीट दे कर और एकतरफा इनक्वायरी करके मुझे 17.2.97 को निकाल दिया। मेरे से मैनेजर साहब कह रहे थे कि तुम अगर हिसाब लेना चाहो तो मैं तुम्हें अपनी जेब से 15–20 हजार रुपये दे सकता हूँ जो कि कम्पनी तुम्हें देगी उससे अलग होगा। परन्तु मैंने कहा कि साहब मुझे तुम्हारा यह हिसाब नहीं चाहिए, मैं तो सर्विस करना चाहता हूँ। कहने लगे कि तुमने डबल ओवर टाइम का भी केस डाला है इसलिये हम तुम्हें सर्विस नहीं देंगे, जाओ कोर्ट में ही सर्विस करो जहाँ डबल ओवर टाइम मिले। हमने आज तक डबल ओवर टाइम किसी भी युनिट में नहीं दिया और न ही देंगे। जाओ जो भी तुम्हें करना है करो। देख लेंगे तुम्हारे प्रतिनिधि को भी। कोर्ट हमारी जेब में रहता है। जितना भी खर्च हो हम कोर्ट में पैसे दे देंगे परन्तु तुम्हें और तुम्हारे निकाले हुये चार साथियों को नहीं लेंगे। जाओ कोर्ट में ही ड्युटी करो।

2.6.97 **– सूरज खाँन**

मैनेजमेन्टों के शिकंजे

मैनेजमेन्टों के लक्ष्य

✂ काम की रफ्तार बढाना ✂ कम मजदूरों से ज्यादा काम करवाना ✂ कम से कम वेतन देना ✂ मजदूरों की मेल-जोल, पहलकदमियों को बिखेरना ✂ नीरस को रंगीन दिखाना ✂ एकताओं की रचना द्वारा मजदूरों में सिरफुटौव्वल करवाना ✂ दहशत का माहौल बनाना ✂ डिसिप्लिन, यानि, मजदूरों पर जकड़ को मजबूत करना ✂ बिना नागा, हर पल काम करवाना, और बेशक अपना–अपना कट-कमीशन सुनिश्चित करना

लटका कर झटकना

टाल-मटोल कर मजदूरों की डिमान्डों को रफा-दफा करना तो मैनेजमेन्टों की दिनचर्या है ही, मामलों को लटका कर झटकना भी मैनेजमेन्टों का रुटीन कार्य है।

थिंक बिग

दीर्घकालीन पालिसी के तहत मैनेजमेन्टें मजदूरों पर लगातार छोटे-छोटे हमले करती हैं, एक-एक पाई एक्स्ट्रा निचोड़ कर नई तिजोरियाँ भरती हैं पर फिर भी वे विशाल-विराट-महान की झंडाबरदार हैं। 'थिंक बिग' साहबों का तकियाकलाम है। मजदूरों की छोटी-तुच्छ-स्माल बातों से मैनेजमेन्टों को अलर्जी है। दो-चार मजदूरों का रोज टाइम बे-टाइम सिर पर खड़े रहना साहबों की बर्दाश्त से बाहर है। इसलिये कौटिल्य की वारिस मैनेजमेन्टों की नीति का सूत्र वाक्य है : बिग के अखाड़े में मजदूरों को खींचो। सेनापतियों की जंग बना कर मजदूरों को खुड्डे लाइन लगाओ।

बड़ा दलदल

शतरंज की सधी-सधाई चालें कह लें चाहे फिल्मों के बने-बनाये सीन, बड़ा मामला बनाने के बाद रुटीन घटनाक्रम में मैनेजमेन्टों के कदम यह होते हैं :

– बात ही नहीं करनी।
– बिलकुल नहीं मानेंगे।
– देखना पड़ेगा।
– ठीक है, देंगे पर अभी नहीं।
– इस हाथ दो, उस हाथ लो।
– एक के बदले में दस दो और ऊपर से अहसान मानो।

मैनेजमेन्टों के लटका कर झटकने के इस खेल में सरकारें रैफरी बनती हैं।

मंत्री-अफसर : देखेंगे-देखेंगे

ईमानदार हों चाहे बेइमान, मजदूरों के जो सेनापति बनते हैं उनकी आम शिकायत यह होती है कि मैनेजमेन्टों के फँसने पर सरकारें तत्काल कार्रवाई करती हैं और पुलिस दौड़ी आती है परन्तु मजदूर-सेनापतियों की चीख-पुकार पर मंत्रियों, अफसरों का तकियाकलाम है : देखेंगे, देखेंगे।

रैफरियों के एक सिरमौर, महामहिम राज्यपाल, हरियाणा सरकार के तौर-तरीकों की एक झलक आइये यहाँ देखें।

एक बड़ी फैक्ट्री की मैनेजमेन्ट ने बड़े पैमाने पर छँटनी के लिये शानदार एग्रीमेन्ट की तुरही बजवा कर मजदूरों को बड़े अखाड़े में खींचा और फिर सितम्बर 96 में फैक्ट्री में तालाबन्दी की। मजदूर-सेनापति इस नेता - उस अफसर - प्रान्तीय मन्त्री - केन्द्रीय मन्त्री - हाई कोर्ट - सुप्रीम कोर्ट के पास भाग-दौड़ में सोये तक नहीं। चार महीने देखेंगे-देखेंगे कह कर सरकार ने इस साल जनवरी में समझौता करवाया। मैनेजमेन्ट की इच्छा अनुसार कम्पनी की एक छोटी इकाई को खोला गया और बड़ी फैक्ट्री को 15 दिन बाद में खोलने का आश्वासन दिया गया। शंकाओं को निर्मूल ठहराते हुये पंच बने सरकारी अफसर ने कहा कि धारा 12 (3) के तहत समझौता है इसलिये बाइन्डिंग है, कोई इससे मुकर नहीं सकता।

मैनेजमेन्ट ने अपने माफिक वाला हिस्सा लागू किया और बड़ी फैक्ट्री खोलने की अन्तिम तारीख निकल जाने के बाद भी फैक्ट्री नहीं खोली। 12(3) ..... 12(3)....

बोफोर्स तोप में कट-कमीशन बेशक खाया गया है पर उसका निशाना अचूक और गोले असली हैं। इसलिये अफसरों-मंत्रियों के पास मजदूर-सेनापतियों की मिन्नतें रंग लाई हैं। फरवरी के आरम्भ में बाइन्डिंग समझौते से मुकरने का दोषी कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौ पा कर हरियाणा के राज्यपाल ने मई में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का फैसला किया। 19 मई के आदेश में हरियाणा सरकार की लेबर कमिश्नर ने कहा है कि कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करने को फरीदाबाद सर्कल–5 के लेबर इन्सपैक्टर को अधिकृत करने में महामहिम राज्यपाल को प्रसन्नता हुई है ....

सितम्बर 96 में तालाबन्दी। जनवरी 97 में खोलने का समझौता। एग्रीमेन्ट से मुकरने पर मई में अदने लेबर इन्सपैक्टर को अदनी अदालत में शिकायत दर्ज कराने की इजाजत। अब निचली अदालत में तारीख-दर-तारीख वाला बरसों चलने वाला खेल शुरू होगा। ऊपर की अदालतों में तारीखों के इस खिलवाड़ को दोहराने की नौबत शायद ही आये। निचली अदालत में फैसले से पहले ही सद्भावना कायम करने के नाम पर.....लटका कर बेहद थका दिये गये मजदूरों पर मैनेजमेन्ट की शर्तें थोपने वाला बड़े पैमाने की छँटनी का समझौता सेनापतियों के बीच हो जायेगा।

फरीदाबाद हो चाहे बम्बई, टोकयो हो चाहे पेरिस, मैनेजमेन्टों के लटका कर झटकने के शिकंजे के प्रमुख पहलू हैं दीर्घकालीन एग्रीमेन्ट और तालाबन्दियाँ तथा रैफरी बनती सरकारें इनमें अहम रोल अदा करती हैं। ■

बारातें ..... दूल्हे (पेज एक का शेष)

डी सी (मिल गया तो) आश्वासन दे कर मामले को टाल देता है।

मजदूरों की टोलियाँ मैनेजमेन्ट और सरकार के अन्य अधिकारियों का भी डी सी वाला हाल कर अपनी बातें मनवाने की क्षमता लिये हैं। एक फैक्ट्री के मजदूरों की टोलियाँ अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों को अपनी बातें बताने के लिये फैलेंगी तो पूरे इलाके की रंगत ही बदल जायेगी।

भारी-भरकमों से ऊबे, पिसे, पिटे और चटे हुओं के लिये टोलियों के रूप में आसान, बिना खर्च वाले, बिना खतरे और कारगर तरीके को आजमाना बनता है। खुशी-खुशी आजमाना बनता है क्योंकि टोलियों में मस्ती भी रहेगी। (जारी)

विरोध और बदलाव के ठुमके

☺ सरल कदम जो सब मजदूर हर रोज उठा सकते हैं ☺

वाह ! क्या बात है !

साहबों को शिकायत रहती है कि मजदूर उनकी इज्जत नहीं करते। यह घोर अनुशासनहीनता है। एस्कोर्ट्स में मजदूर कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़े हैं। डिसिप्लिन सख्ती से लागू करने के वास्ते, मजदूरों को सीधा करने के लिये **एस्कोर्ट्स यामाहा** मैनेजमेन्ट ने पँगा लिया। प्रतिदिन 350 मोटरसाइकिल असेम्बल करने वाली लाइन मई में बीस दिन बन्द रही।

कम्पनियों का मैनेजमेन्टें संचालन करती हैं, मालिक नहीं हैं। मैनेजमेन्ट में पदों के लिये मारा-मारी का प्रमुख कारण कम्पनी की कीमत पर दबदबे के हिसाब से कट-कमीशन होता है। चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर-जनरल मैनेजर-मैनेजर सब कट-कमीशन खाते हैं। घटिया मैटेरियल और खराब मशीनरी कट-कमीशन के अनिवार्य परिणाम हैं और इनसे मजदूरों को अतिरिक्त परेशानी होना भी लाजमी है। **एस्कोर्ट्स यामाहा की असेम्बली लाइन पर मजदूरों को हर दो मिनट में एक मोटरसाइकिल असेम्बल करनी पड़ती है।** मजदूरों की रेल बनी रहती है और ऐसे में मैटेरियल व मशीनरी की खराबी से मजदूरों को अत्यधिक परेशानी होती है। ऊपर से तुर्रा यह कि रिजेक्शन के जिम्मेदार मजदूर ठहराये जाते हैं और चार्ज किये जाते हैं।

8 मई को असेम्बली डिपार्टमेन्ट के एक मजदूर ने मैनेजर से घटिया मैटेरियल और उससे होती परेशानी की फिर शिकायत की। इस पर मैनेजर ने झाड़ते हुये कहा कि जैसा भी है उससे तू लाइन चला। एक अन्य वरकर ने तब अपने साथी मजदूर की बात साहब को समझाने की कोशिश की। साहब के साथ अदब से पेश नहीं आने का आरोप लगा कर एस्कोर्ट्स यामाहा मैनेजमेन्ट ने उन दो मजदूरों को सस्पैन्ड कर दिया। इसके विरोध में 9 मई को असेम्बली डिपार्टमेन्ट के 250 मजदूरों ने टूल डाउन किये। मसले पर मैनेजमेन्ट से बात करने 30 मजदूर गये तो उनमें से 5 को सस्पैन्ड कर दिया। 10 व 11 मई की छुट्टी थी। 12 मई से असेम्बली लाइन के वरकर डिपार्टमेन्ट के बाहर इकट्ठे हो कर बैठने लगे।

लीडर : हम से पूछ कर स्ट्राइक नहीं की है इसलिये हम सपोर्ट नहीं करेंगे।

वरकर : तुम्हारी जरूरत नहीं है। हम खुद निपट लेंगे।

फरीदाबाद स्थित एस्कोर्ट्स यामाहा फैक्ट्री के मजदूरों में आपस में खूब विचार-विमर्श हुआ। असेम्बली लाइन के मजदूरों के समर्थन में अन्य डिपार्टमेन्टों में भी चक्का जाम करने पर चर्चा के बाद वरकरों ने ठन्डे दिमाग से ऐसा नहीं करने का फ़ैसला किया क्योंकि मैनेजमेन्ट और लीडर मिल कर क्या-क्या तिकड़में रचते हैं इसका पता करना बहुत मुश्किल होता है। एस्कोर्ट्स यामाहा के मजदूरों ने अन्य डिपार्टमेन्टों में काम जारी रखने और असेम्बली लाइन जाम रखने तथा असेम्बली डिपार्टमेन्ट के मजदूरों के आर्थिक नुकसान की भरपाई करने का निर्णय लिया। आरम्भ में हर डिपार्टमेन्ट से प्रति मजदूर दो सौ रुपये असेम्बली लाइन के मजदूरों के लिये इकट्ठा करने का फैसला किया गया।

22 मई को मजदूरों को इनसैन्टिव के पैसे मिले तब एस्कोर्ट्स यामाहा फैक्ट्री के 2300 मजदूरों ने डिपार्टमेन्टवाइज प्रति मजदूर एक सौ रुपये के हिसाब से सवा दो लाख रुपये से ऊपर असेम्बली डिपार्टमेन्ट के 250 मजदूरों के लिये एकत्र किये। मई माह के वेतन में से सौ-सौ रुपये और इकट्ठे करना तय है। असेम्बली लाइन वरकर का वेतन औसतन 20 रुपये प्रति घन्टा है।

मामला हाथ से निकल गया देख कर 26 मई को लीडर खुद मजदूरों के पास आये (मैनेजमेन्ट ने लीडरों को मजदूरों के पास भेजा)। एस्कोर्ट्स यामाहा वरकरों ने लीडरों को कोई भाव नहीं दिये और कहा कि हम खुद ही जो करना है कर लेंगे। लीडर 27 को फिर आये। 28 मई को एस्कोर्ट्स यामाहा मैनेजमेन्ट और लीडरों ने एग्रीमेन्ट की घोषणा कर कहा कि 5 सस्पैन्ड मजदूरों को तत्काल ड्युटी पर ले लिया जायेगा और दो को इनक्वायरी के बाद। इस पर मजदूरों ने 28 मई को ढाई बजे असेम्बली लाइन पर काम शुरू कर दिया। मैनेजमेन्ट द्वारा 5 मजदूरों से माफीनामा लिखवाने की कोशिश का पता चलते ही साढे तीन बजे वरकरों ने फिर लाइन जाम कर दी। मैनेजमेन्ट और लीडर फिर पीछे हटे और तब साढे छह बजे एस्कोर्ट्स यामाहा में बीस दिन बाद असेम्बली लाइन चली। ■

सुस्ताने का बहाना हो

बाबाजी ने कई बार सुनायी थी यह कहानी। फ़क़ीरा जब इतना बड़ा हुआ कि ब्याह कर दिया जावे, तो देखने वाले आते तो बहुत; मगर कोई बात को आगे न बढाता। फ़क़ीरा तन्दरुस्त; देखने-भालने में ठीक; और साल भर के लिये किसान के यहाँ लगा हुआ। फेल इस वजह से होता कि हुक्का नहीं पीता था। होनेवाला ससुर भी इसी की तरह का मजदूर होता। फैसला यह आता कि हुक्के के बहाने ही सुस्ताने का मौका मिलता है। ना सुस्ताने वाले फ़क़ीरा की जिन्दगी कितने दिन की।

पैर पड़े हुये थे। पैरी पर आखिरी जवार की दाँय चल रही थी। बैल और हाँकने वाला फ़क़ीरा धंस-धंस जाते थे। ऐसे समय वहीं वर देखने वाला पहुँचा। उसी वक्त फ़क़ीरा ने किसान से कहा; "हाजत लगी है। जंगल फिर आऊँ। दो–चार फेरे ला दियो, ताऊ।" आनेवाला बैठ गया। फ़क़ीरा लौटा पूरे पौन घण्टा बाद। अरे! उसने तो किसान के माध्यम से ही बात पक्की कर दी। अपने घर जा कर ख़बर दी। उनके चेहरे उतर गये। लड़का हुक्का नहीं पीता। यह तो ठीक है; मगर उसकी हगनी बहुत ठीक है। जैसा बाद में पता चला कि उसने पूरा पौन घण्टा किसान से दाँय हँकवाने का आँखों देखा बयान दिया।

आज जमाना बदल गया। सुस्ताने के बहाने भी तो बदल सकते हैं। जो मजदूर सुस्ताने का समय नहीं पाता, वह वह बकरा है जिसकी माँ कब तक ख़ैर मनायेगी। स्वास्थ्य के लिये आराम पहली शर्त है। — **राजबल,** मुरादाबाद

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० ऑफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।